मिसल नं. .....उनवान.....बनाम.....

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
28-11-22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी स्वयं उप० नहीं। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी एवम् के तीन बाद आवाज लगवाई गई। बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं। अतः प्रार्थी का प्र० पत्र अदम दाखिली अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर है।

Scanned with CamScanner